



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 18, 1994/अश्विन 26, 1916
No. 432] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 1994/ASVINA 26, 1916

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1994

सा. का. नि. 756 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), (ङ) और (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1987 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1994 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1987 में

(क) नियम 3 को उप-नियम (1) के रूप में नई संख्या दी जाएगी अतः

(ख) नई संख्या उप-नियम (1) के दूसरे परन्तुक में

(i) खंड (क) में इस भाग को "तथापि अंतिम आदेश अंग्रेजी में होगा" विलोपित कर दिया जाए।

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाए अर्थात्:—

"(ग) राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए) नियमावली, 1976 के नियम 2 के खंड (इ) में यथा परिभाषित क्षेत्र "क" में स्थित न्यायपीठों हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अंतिम आदेश दे सकती हैं।"

(ग) नई संख्या उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप-नियम (1) में किसी भी बात के रहते हुए, जहां अंतिम आदेश हिन्दी में जारी किए जाते हैं, उसका प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद भी साथ-साथ तैयार किया जाएगा और उसे रिकार्ड में रखा जाएगा।

[संख्या आई-42012/3/92—प्र. अ. (खंड-IV)]

सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम दिनांक 6-1-1987 के भारत के राजपत्र सा. का. नि. सं. -- 17(ई) में प्रकाशित किए गए और तदन्तर निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(1) सा. का. नि. सं. 1000 (ई.) दिनांक 11-10-88

(2) सा. का. नि. सं. 99(ई) दिनांक 26-2-91

(3) सा. का. नि. सं. 557 (ई.) दिनांक 4-9-1991

(4) सा. का. नि. सं. 564 (ई.) दिनांक 7-7-1994

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1994

G.S.R. 756(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Second Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, —

(a) rule 3 shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof ;

(b) in sub-rule (1) as so re-numbered, in the second proviso, —

(i) in clause (a), the portion “However, the final order shall be in English” shall be omitted ;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

“(c) the Benches located in “Region A” as defined in clause (f) of rule 2 of the Official Languages (Use for Officials purposes of the Union) Rules, 1976 may, in their discretion, make final orders either in Hindi or in English.”

(c) after sub-rule (1) as so re-numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a final order is made in Hindi, an authenticated English translation thereof shall simultaneously be prepared and kept on record.”

[No. I-42012/3/92-AT (Vol. IV)]

SMT. SARITA PRASAD, Jt. Secy. (AT)

Foot Note :—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide notification number GSR 17(E), dated 6-1-1987 and subsequently amended vide :—

(i) No. GSR 1000 (E), dated 11-10-1988.

(ii) No. GSR 99 (E), dated 26-2-1991.

(iii) No. GSR 557 (E), dated 4-9-1991.

(iv) No. GSR 564 (E), dated 7-7-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994